

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक) बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी धारा 8, अनुसूची बी, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

बाइरैक के बोर्ड ने 24 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बोर्ड बैठक में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) को मंजूरी दी। बाइरैक की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 और 'डीपीई दिशा-निर्देशों' के अनुरूप तैयार की गई थी।

सीएसआर नीति के लिए विजन और मिशन वक्तव्य :

विजन वक्तव्य : बाइरैक अपनी सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समाज और उस समुदाय में मूल्य सृजन को बढ़ाना जारी रखेगा जिसमें यह अपनी सेवाओं, आचरण और प्रयासों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि सामाजिक रूप से जिम्मेदार सीपीएसई के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करते हुए समाज और समुदाय के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

मिशन वक्तव्य : कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, इस नीति का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव पैदा करने की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र के साथ दीर्घ, मध्यम और अल्पावधि में कंपनी विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यनीतियों को विकसित करना है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना :** कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (22 जनवरी, 2021 से लागू) के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी और धारा 135 के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 3 में आगे संशोधन (20 सितंबर, 2022 से लागू) में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कंपनी के पास धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अपने अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में कोई राशि है, तो उसे एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा और उक्त धारा की उप-धारा (2) से (6) में निहित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

इसलिए, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, बाइरैक के पास कोई भी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि नहीं है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार बाइरैक ने सीएसआर आंतरिक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है :

- 1) प्रबंध निदेशक अध्यक्ष के रूप में;
- 2) निदेशक (प्रचालन) : सदस्य;
- 3) निदेशक (वित्त) : सदस्य;
- 4) कंपनी सचिव : सदस्य।
- 5) बाइरैक प्रभागों के सभी प्रमुख और परियोजना प्रबंधन इकाई के मिशन निदेशक। सभी प्रभाग प्रमुख आंतरिक सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में।

परियोजना प्रबंधन इकाइयों, कार्यनीतिक साझेदारी समूह और तकनीकी समूह के सभी प्रभाग प्रमुखों को प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए बाइरैक में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक सीएसआर समिति का हिस्सा बनने के लिए सहयोजित किया जाएगा।

इसलिए, बोर्ड ने 27 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी 59वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर गतिविधियों के लिए तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध अधिशेष/लाभ का 2% अर्थात् ₹ 16,51,706 के बजटीय आबंटन को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को सीएसआर आंतरिक समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावों की जांच करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, सीएसआर आंतरिक समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श किया और अनुमोदित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 16,51,706 (सोलह लाख इक्यावन हजार सात सौ छह रुपये मात्र) की सीएसआर निधि को स्वच्छ भारत कोष में लगाया जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (i) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध गतिविधियों में से एक है।

- वेब-लिंक जहां सीएसआर आंतरिक समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती हैं : www.birac.nic.in
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) : **लागू नहीं**
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो : **लागू नहीं**

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (₹ में)
लागू नहीं			

- धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : **₹ 8,25,85,312**
- (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : **₹ 16,51,706**
(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : **लागू नहीं**
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : **लागू नहीं**
(घ) वित्तीय वर्ष (7क+7ख-7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व : **₹ 16,51,706**
- (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपए में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
₹ 16,51,706/-	शून्य				

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची 7 में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची 7 में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	मद (1)	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	16,51,706	हां	स्वच्छ भारत कोष	लागू नहीं
					कुल	16,51,706			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : ₹ 16,51,706

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	16,51,706/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	16,51,706/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
					लागू नहीं

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/जारी
								लागू नहीं

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण) : लागू नहीं
 - (क) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं
 - (ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु खर्च की गई सीएसआर की राशि : लागू नहीं
 - (ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं
 - (घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं
11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : लागू नहीं

बोर्ड हेतु एवं उनकी ओर से

हस्ता./—

डॉ. जितेंद्र कुमार

(प्रबंध निदेशक)

डीआईएन : 070171109

दिनांक : 27 सितंबर, 2024

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./—

डॉ. राजेश एस. गोखले

अध्यक्ष

डीआईएन : 03121276